

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक)

ओपल वनाम गुलाब वगैरह

किस्म मुकदमा.....नम्बर 55 सन्..20 13
 पान पत्र 13

म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>29-5-2015</p> <p>पत्रवली राजस्व लोक अदालत गांधी पंचायत फुलेला पर प्रस्तुत हुयी शर्तों स्वयं उपस्थित। प्रतिक्रिया से डोर से उनके वकील उपस्थित वाली का हुल वाद चलने योग्य नही होने से स्वारिज किया जा चुका है। इस वादफरके के चलने का अक कोई ओचित्य नही है। अतः वाद न. 9. स्वारिज किया जाता है। पत्रवली फलतमुदर देकर नम्बर से कम हो तथा शामिल हुल वाद है।</p> <p style="text-align: center;">(B)</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक</p>	<p>जायदाद</p> <p>अहकाम</p>